ऑन लाईन नं.RCMS2023/28

**न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर**

**पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.**

**न्याय निर्णयन आवेदन सं0 21/2023**

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकाारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री रामकुमार झाझड़ा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद झाझड़ा –खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक– **मै0** झाझड़ा वेरायटी स्टोर, कालवासिया तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

**अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा**

**एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)51&52**

**निर्णय** **दिनांक : 17.03.2023**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 18.08.2011 के गजट में भाग 2(क) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश क्रमांकः–एफएसएसए/2020/830 दिनांक 26.10.2020 एवं क्षेत्राधिकार अधिसूचना 11.04.2012 अनुसार प्रकाशित के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.01.2022 को 11.30 ए.एम का **मै0** झाझड़ा वैरायटी स्टोर, कालवासिया तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचा। मौके पर विक्रेता रामकुमार झाझड़ा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद झाझड़ा को अपना परिचय देकर दुकान पर रखे **सरसों का तेल (मस्टर्ड किंग)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान पर रखे 500 एम.एल. की 30 बोतलें **सरसों का तेल (मस्टर्ड किंग)** को आमजन के बेचान वास्ते होना बताया। मुझे इसी **सरसों का तेल (मस्टर्ड किंग)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते **सरसों का तेल (मस्टर्ड किंग)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5ए भरकर देते हुए वरवक्त की मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **सरसों का तेल (मस्टर्ड किंग)** में से 500 एम.एल. की 4 मुल शील्ड बोतलें **सरसों का तेल (मस्टर्ड किंग)** को क्रय लिया। विक्रेता के मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **सरसों का तेल (मस्टर्ड किंग)** का नगद भुगतान 320/– रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंग्न है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्तक्षर करने को कहा जिसे रामकुमार झाझड़ा एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक रामकुमार झाझड़ा को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **सरसों का तेल (मस्टर्ड किंग)** के मुल 500 एम.एल. वजनी 4 मुल शील्ड पैक बोतलों पर लेबल चिपकायें और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के 1301** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1301** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री रामकुमार झाझड़ा एवं गवाहान ने भी पढकर,समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये । फर्द रिपोर्ट मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–एलएस / 54 / एक्ट / 2022 / 54 दिनांक 19.01.2022 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1301 Sub-Standard Food & Misbranded Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त रामकुमार झाझड़ा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद झाझड़ा **मै0** झाझड़ा वेरायटी स्टोर, कालवासिया तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **सरसों का तेल (मस्टर्ड किंग)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 13.02.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि:– प्रार्थी वार्ड नम्बर 05, सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी झाझड़ा वेरायटी स्टोर, कालवासिया तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 23/286 दिनांक 16.02.2023 का दिया है कि आपकी दुकान में **सरसों का तेल (मस्टर्ड किंग)** की जांच की गई तो **सरसों का तेल (मस्टर्ड किंग) Sub-Standard Food & Misbranded Food** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त **सरसों का तेल (मस्टर्ड किंग)** में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **सरसों का तेल (मस्टर्ड किंग)** का सैम्पल **K-1301** जांच रिपोर्ट क्रमांक :–एलएस/54/एक्ट/2022/54 दिनांक 19.01.2022 द्वारा **Sub-Standard Food & Misbranded Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 52 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी वार्ड नम्बर 05, सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी झाझड़ा वेरायटी स्टोर, कालवासिया तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 23/286 दिनांक 16.02.2023 का दिया है कि आपकी दुकान में **सरसों का तेल (मस्टर्ड किंग)** की जांच की गई तो **सरसों का तेल (मस्टर्ड किंग) Sub-Standard Food & Misbranded Food** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त **सरसों का तेल (मस्टर्ड किंग)** में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Mustard Oil (Mustard King) " bearing Code No and Sr. No. K-1301 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-standard Food as it is not conform to the prescribed Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulation, 2011 and Misbranded Food Under section 3(1(zf)(c) (i) of Food Safety and Standard Act-2006.** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त रामकुमार झाझड़ा पुत्र पुत्र श्री जगदीश प्रसाद झाझड़ा को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त रामकुमार झाझड़ा पुत्र पुत्र श्री जगदीश प्रसाद झाझड़ा को खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 15,000--00 (अखरे रूपये पन्द्रह हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में रामकुमार झाझड़ा पुत्र पुत्र श्री जगदीश प्रसाद झाझड़ा खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(डा. हरीतिमा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर